छात्र-छात्राओं के लिए आचार संहिता

प्रस्तावना

हिंदू कॉलेज मुरादाबाद उत्कृष्टता, न्याय, ईमानदारी, निष्पक्षता, सम्मान, समानता और उत्तरदायित्व का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली आचार संहिता को बनाए रखने और उसका समर्थन करने के लिए समर्पित है। यह प्रावधान करता है कि छात्र अपने दैनिक विकल्पों, कार्यों और बातचीत में इस संहिता का पालन करें। सभी विद्यार्थियों से आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

छात्र-छात्राओं के लिए आचार संहिता, कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. विद्यार्थी अपने समय सारणी के अनुसार समय से महाविद्यालय पहुँचेंगे ।
2. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करने के लिए महाविद्यालय का यूनिफार्म अनिवार्य है। छात्रों को बिना यूनिफार्म के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
3. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्राचार्य/मुख्य नियंता के हस्ताक्षर से युक्त परिचय-पत्र रखना अनिवार्य है, जिसे कॉलेज के सक्षम अधिकारी/प्राध्यापक के द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। यदि मांगने पर छात्र-छात्रा द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि वह महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं है, फलस्वरूप उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. महाविद्यालय के छात्र -छात्राओं को केवल दोपहिया वाहन एवं साइकिल से महाविद्यालय आने की अनुमति है । कार / एस.यू.वी. अथवा किसी अन्य चार पहिया वाहन से महाविद्यालय आने पर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा ।
5. अपने वाहन को केवल छात्र-छात्राओं की पार्किंग के लिए निर्दिष्ट स्थान पर ही खड़ा करें। यदि वाहन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित स्थान पर पार्क नहीं किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी ।
6. अपने वाहन को 'नो पार्किंग जोन' में पार्क न करें और न ही ऐसे स्थान पर रोकें जहां रुकना प्रतिबंधित हो। इसका पालन न करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
7. महाविद्यालय परिसर में तेज गति से वाहन चलाने एवं तेज ध्वनि वाले वाहन लाना प्रतिबंधित है। ऐसे वाहनों द्वारा शांति एवं व्यवस्था भंग करने पर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

8. महाविद्यालय परिसर में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना पूर्णतया वर्जित है। दोपहिया वाहन पर चालक सहित केवल दो लोगों का बैठना अनुमन्य है।
9. महाविद्यालय परिसर में, विशेष रूप से सामान्य स्थानों, पुस्तकालयों और कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, रील और वीडियो रिकॉर्ड करना और तस्वीरें लेना सख्त वर्जित है।
10. महाविद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी के लिए (लाइसेंस युक्त आग्नेयास्त्र सहित) किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र रखना पूर्णतया प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है।
11. महाविद्यालय परिसर में मद्यपान, धूम्रपान एवं अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग एवं गुटका-पान चबाना पूर्णत वर्जित एवं दंडनीय अपराध है।
12. महाविद्यालय परिसर को किसी भी प्रकार की राजनीति का अड्डा बनाने एवं पठन-पाठन के वातावरण को खराब करने वाले छात्र-छात्राओं के विरुद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
13. कक्षा में शिक्षक/शिक्षिका के निर्देशों पर पूरा ध्यान दें। शिक्षक/शिक्षिका के कक्षा में प्रवेश कर जाने के पश्चात छात्र-छात्रा बिना आज्ञा प्राप्त किये किये न तो कक्षा में प्रवेश करें और नहीं कक्षा के बाहर जाएं।
14. कक्षा, गलियारे और कार्यालयों को पूरी तरह से शांत और व्यवस्थित रखें। जिन छात्र-छात्राओं की कक्षाएं नहीं है वह शोर नहीं मचाएंगे तथा बरामदे में या किसी कक्षा के सामने जहां पढ़ाई चल रही है एकत्र नहीं होंगे तथा शांति बनाए रखेंगे।
15. महिला प्रकोष्ठ के समक्ष छात्रों का खड़ा होना पूर्णतया वर्जित है। महिला प्रकोष्ठ में प्रवेश करने वाले छात्र को कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा।
16. छात्र-छात्रा अपनी कक्षाओं को नहीं छोड़ेंगे और नहीं बिना किसी उद्देश्य के परिसर में इधर-उधर घूमेंगे। उद्देश्यविहीन चिल्लाने, जोर-जोर से बात करने , परिसर में समूह में इधर-उधर घूमने तथा किसी अन्य प्रकार से अव्यवस्था उत्पन्न करने को संपूर्ण अनुशासनहीनता का कार्य माना जाएगा और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
17. पुस्तकालय को शांत रखें और बिना कोई क्षति पहुचाए इसके स्थान और संसाधनों का उपयोग करें।
18. किसी भी कक्ष के सामने बातचीत या शोर न करें।
19. सभी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, रिकॉर्ड-कीपिंग और पोस्टर जमा करने की समय सीमा का पालन करें।
20. प्रयोगशाला के नियमों का पालन करें और उपकरणों को नुकसान पहुंचाने से बचें।

21. विभाग या कॉलेज के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट को प्रतिदिन चेक करना अपनी आदत बनाएं।
22. अपने मेंटर द्वारा आयोजित किसी भी व्यावसायिक, व्यक्तिगत और शैक्षणिक परामर्श मीटिंग में भाग लें। कॉलेज/विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, सेमिनारों और कार्यक्रमों में भाग लें और उन्हें सफल होने में मदद करें।
23. परिसर में हिंसा की कोई भी हरकत, कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कैंपस में किसी के साथ दुर्व्यवहार और छात्राओं से जुड़े अनुचित व्यवहार को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इसके अलावा, प्रगतिशील अनुशासन दिशानिर्देशों का पालन करें। जो विद्यार्थी गलती करते हैं, उन्हें शैक्षणिक या वित्तीय दंड का सामना करना पड़ सकता है। यदि उनका कदाचार जारी रहता है, तो उन्हें अस्थायी निलंबन या निष्कासन जैसे अनुशासनात्मक उपायों का भी सामना करना पड़ सकता है।
24. ध्यान दें कि कैंपस की इमारतों या दीवारों पर बिल या पोस्टर लिखना या लगाना मना है। विभागों में लगे पोस्टर और साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचाना भी मना है।
25. महाविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र -छात्राओं को किसी भी धरनेएप्रदर्शन अथवा सामूहिक गतिविधि के पूर्व प्राचार्य की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बाहर का कोई व्यक्ति (जो महाविद्यालय का अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी नहीं है) धरने या प्रदर्शन में शामिल नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसे धरने या प्रदर्शन में बाहर का कोई व्यक्ति पाया जाता है तो धरने / प्रदर्शन की अनुमति लेने वाले छात्र -छात्रा के विरुद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसे पुलिस को सुपुर्द किया जायेगा।
26. विद्यार्थी अवांछित तत्वों एवं बाहरी व्यक्तियों से अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे तथा उन्हें कालेज परिसर में न तो आमंत्रित करेंगे और न ही उनसे कॉलेज परिसर में मिलेंगे।
27. महाविद्यालय के किसी शिक्षक अथवा कर्मचारी से यदि कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो इसे गंभीरता से लेते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
28. अकादमिक अध्ययन करते समय अकादमिक अखंडता बनाए रखना आवश्यक है। अकादमिक प्रदर्शन के रिकॉर्ड को गलत साबित करना या बदलना अकादमिक कदाचार है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षा हॉल में सभी प्रकार के कदाचार और अनुचित व्यवहार, जैसे कि कक्ष निरीक्षकों पर हमला करना, परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना, अन्य छात्रों को बेईमानी करने में सक्षम बनाना और नकल करना, गंभीर और दंडनीय अपराध हैं।
29. किसी अन्य विद्यार्थी को अपमानित करना सख्त वर्जित है।

30. अपने विचारों को दूसरों के साथ उचित और मददगार तरीके से साझा करें।
31. असहमति जताते समय, आम जगहों से बचते हुए, उन लोगों से विनम्रता और सीधे बात करें जिनसे आप असहमत हैं।
32. धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर कोई भी आधिकारिक या अनौपचारिक समूह बनाना सख्त वर्जित है।
33. महाविद्यालय में रैंगिंग करना पूर्तिया प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। यदि कोई रैगिंग में लिप्त पाया गया तो इसे अक्षम्य संज्ञेय अपराध मानते हुए छात्र-छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा।
34. यदि लागू हो तो कार्यालय या विभाग को अपने अभिभावक का अद्यतन पता प्रदान करें।
35. महाविद्यालय प्रशासन की स्पष्ट सहमति के बिना, छात्र-छात्राओं को कॉलेज की ओर से या किसी भी मीडिया आउटलेट से बात करने की अनुमति नहीं है।
36. महाविद्यालय के किसी भी नियम को तोड़ना निश्चित रूप से निषिद्ध है।
37. परिसर के बाहर के कार्यक्रमों में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते समय आचार संहिता लागू रहेगी।

दंडात्मक कार्यवाहियाँ

यदि कोई छात्र-छात्रा आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे चेतावनी, निलंबन, आर्थिक दंड, बर्खास्तगी और डिग्री रोके जाने की कार्यवाहियों का सामना करना पड़ सकता है।

कॉलेज के सभी छात्र-छात्राओं को इन आचार संहिताओं का पालन करना अनिवार्य है।

आज्ञा से

PRINCIPAL
HINDU COLLEGE
MORADABAD.

Code of Conduct for Students

Preamble

Hindu College Moradabad is dedicated to upholding and supporting a Code of Conduct that exemplifies excellence, justice, honesty, fairness, respect, equality, and responsibility. It requires that students follow this code in their daily choices, actions, and interactions. Students are expected to abide by the Code of Conduct.

Code of Conduct, Duties, and Responsibilities for Students

1. Students will reach the college on time as per their timetable.
2. College uniforms are compulsory to enter the college campus. Students are not allowed to enter the campus without a uniform.
3. It is mandatory for every student taking admission in the college to have an identity card bearing the signature of the Principal/Chief Proctor, which will have to be presented on demand by the competent officer/Professor of the college. If the identity card is not presented by the student on demand, it will be considered that he/she is not a student of the college, and as a result, punitive action will be taken against him/her.
4. The students of the college are allowed to come to the college only by two-wheelers and bicycles. They will not be allowed to enter the college by car/SUV or any other four-wheeler.
5. Park your vehicle only in the space designated for student parking. Strict action will be taken if the vehicle is not parked in the space designated for students.
6. Do not park your vehicle in a 'no parking zone' or stop at a place where stopping is prohibited. Strict action will be taken if this is not followed.
7. Driving at high speed and bringing vehicles with loud noise is prohibited on the college campus. Strict action will be taken against such vehicles for disturbing peace and order.
8. Talking on a mobile phone while driving on the college campus is completely prohibited. Only two people, including the driver, are allowed to sit on a two-wheeler.
9. Using mobile phones, recording reels and videos, and taking photographs is strictly prohibited on the college premises, especially in common places, libraries, and classrooms.
10. It is strictly prohibited and a punishable offense for any student to keep any type of weapon (including licensed firearms) on the college campus.
11. Drinking alcohol, smoking, using other intoxicants, and chewing tobacco on the college campus is completely prohibited and a punishable offence.
12. Strict disciplinary action will be taken against students who make the college campus a hub of any kind of politics and spoil the learning environment.
13. Pay full attention to the teacher’s instructions in class. After the teacher enters the class, students should neither enter nor leave the class without obtaining permission from him/her.

14. Classrooms, corridors, and offices should be kept absolutely quiet and orderly. Students who do not have classes will refrain from making noise, gather in the veranda or in front of any classroom where classes are in session, and maintain silence.
15. It is strictly forbidden for students to stand in front of the girl's common room. Any student entering the girl's common room will be expelled from the college.
16. Students will not leave their classes or roam around the campus without any purpose. Shouting without any purpose, talking loudly, roaming around the campus in groups, and creating any other kind of disorder will be considered an act of total indiscipline, and punitive action will be taken.
17. Keep the library quiet and use its space and resources without causing any damage.
18. Do not talk or make noise in front of any room.
19. Adhere to deadlines for submitting all assignments, projects, record-keeping, and posters.
20. Follow laboratory rules and avoid causing damage to equipment.
21. Make it a habit to check the department or college notice board and website daily.
22. Attend all professional, personal, and academic counseling meetings organized by your mentor. Attend workshops, seminars, and events organized by the college/department and help them succeed.
23. Any act of violence on campus, damage to college property, misbehavior with anyone on campus, and inappropriate behavior involving female students will be taken very seriously. Also, follow the progressive discipline guidelines. Students who commit a crime may face academic or financial penalties. If their misconduct continues, they may also face disciplinary measures such as temporary suspension or expulsion.
24. Note that writing or putting up bills or posters on campus buildings or walls is prohibited. Damaging posters and signs on the campus is also prohibited.
25. It is mandatory for students studying in the campus to get written permission from the Principal before any protest, demonstration, or group activity. No outsider (who is not a regular student studying in the college) can be included in the protest or demonstration. If any outsider is found in such a protest or demonstration, then strict disciplinary action will be taken against the student who took permission for the protest or demonstration, and he/she will be handed over to the police.
26. Students will not establish associations with unwanted elements and outsiders and will neither invite them to the college campus nor meet them on the college campus.
27. If any student misbehaves with any teacher or employee of the college, it will be taken seriously and strict action will be initiated.
28. It is essential to maintain academic integrity while pursuing academic studies. Falsifying or altering records of academic performance is academic misconduct. It is important to note that all forms of malpractice and improper behavior in the examination hall, such as attacking invigilators, misbehaving in the examination hall, enabling other students to cheat, and copying, are serious and punishable offences.
29. Humiliating another student is strictly prohibited.
30. Share your views with others in a proper and helpful manner.
31. When expressing disagreement, speak politely and directly to those you disagree with, avoiding common places.
32. Forming any official or unofficial groups based on religion, caste, or community is strictly prohibited.

33. Ragging in the college is completely prohibited. If a student is found involved in ragging, which is considered an unpardonable cognizable offense, they will face expulsion from the college.
34. Provide the updated address of your guardian to the office or department, if applicable.
35. Students are not allowed to speak on behalf of the college or to any media outlet without the explicit consent of the college administration.
36. Breaking any rules of the college is strictly prohibited.
37. The Code of Conduct will apply when representing the college at events off campus.

Punitive Procedures

If a student is found to have violated the Code of Conduct, he or she may face actions including warning, suspension, fine, dismissal, and degree withholding.

All the students of the college are required to abide by these Codes of Conduct.

.

By order

PRINCIPAL
HINDU COLLEGE
MORADABAD.